तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-2-26	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस समाहित की जा चुकी है। अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा खारिज करने का अनुतोष चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–10–2025 पारित किया गया। अपीलांट द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत पारित इस आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है जबकि धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत आदेश की अपील मेन्टेनेबल नही होती। यह निगरानी योग्य आदेश है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जावे। अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1953 सुप्रीम कोर्ट पेज 23, एआई 1980 उडिसा उच्च न्यायालय पेज 176, एआईआर 1968 इलाहबाद उच्च न्यायालय पेज 164, एआईआर 1999 गुजरात उच्च न्यायालय पेज 118, आरआरडी 1991 पेज 422, सीसीसी 2000 (2) पेज 84, सीसीसी 2007 (2) पेज 1 का उल्लेख किया। अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा जवाब बहस में कथन किये कि प्रार्थी द्वारा धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में कोज ऑफ एक्शन हासिल नही होने के आधार पर वाद वादी खारिज करने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थना पत्र के कथन आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानो के तहत आते है। प्रार्थी द्वारा गलत कानूनी धारा लिखकर 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया गया है। अतः इसकी अपील इसी न्यायालय में की जाएगी। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपने कथनो के समर्थन में डीएनजे 1997 पेज 468 का उल्लेख किया। उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा निम्नाकिंत बिन्दुओं पर विनिश्चय किया जाना है– 1– क्या अपीलाधीन आदेश धारा 151 सीपीसी के तहत पारित किया गया है अथवा नही?	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2– क्या धारा 151 सीपीसी की अपील संधारणीय है अथवा नही?

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 04–09–2025 को प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र में यह अभिलिखित किया गया कि वादी द्वारा खरीद सुदा भूमि को छोटे छोटे प्लॉट काटकर विक्रय कर दी गई है। वादी को किसी प्रकार का वाद हेतुक प्राप्त नही है। वादी ने कोर्ट की प्रक्रिया का दुरूपयोग करके यह दावा प्रस्तुत किया है जिस पेश करने का वादी को अधिकार नही है। अतः दावा इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा इसका जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र के अंतिम पेरा में अप्रार्थी द्वारा यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे तथा विवादित भूमि हेतु माननीय न्यायालय धारा 151 सीपीसी की शक्तियों का प्रयोग करके इस भूमि का रिसीवर कायम किया जावे।

न्यायालय का विनम्र मत यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसका जवाब अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा दिया गया। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह एतराज नही उठाया गया कि धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में गलत रूप से कानूनी धारा अंकित की गई है अथवा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की ताहिद में आता है। अपितु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं न्यायालय से धारा 151 सीपीसी की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने हेतु निवेदन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर वाद वादी खारिज कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के बिन्दू संख्या 10 में यह स्पष्टतः अंकित है कि– "प्रार्थना पत्र प्रार्थी 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र बोगस व मेन्टेनेबल नही होने से खारिज किया जाता है।"

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश धारा 151 सीपीसी के तहत पारित किया गया। अपीलांट द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत पारित आदेश दिनांक 14–10–2025 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। **अपीलांट द्वारा किसी डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है।**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश 43 सीपीसी के प्रावधानो एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 151 सीपीसी की अपील संधारणीय नही है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत यहा पूर्णतय चस्पा होते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थी स्वीकार कर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर